1→ प्रारम्भिक / मूल / मौलिक क्षेत्राधिकार → [illegible] न्यायालय दो कार्य करता है।

(i) केन्द्र - राज्य विवाद की सुनवाई करता है
(ii) मूल अधिकारो की सुनवाई व उसकी रक्षा करता है।

केन्द्र व राज्य विवाद मामले की सुनवाई की प्रक्रिया (S.C) भारत और अमेरिका में समान है।

2→ अपीलीय क्षेत्राधिकार :→ इसमें दो प्रकार की सुनवाई की जाति है

फौजदारी – मारपीट, डकैती, चोरी
दीवानी – शादी - विवाह, तलाक

इस मामले की सुनवाई के लिए सर्वप्रथम L.C जाया जाता है इसके विपरीत हम H.C हो जा सकते हैं और अन्त मे S.C में अपील की जा सकती है इसलिए इसे अपीलीय क्षेत्राधिकार कहते है करंट अफेयर्स & सामान्य ज्ञान एवम रोचक जानकारी

3→ परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार → अनु॰143 के अनुसार राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि जब उसे

→ यह प्रतीत हो जाए की यह प्रश्न तो व्यापक महत्व का है उस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना आवश्यक है तो वह उस प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से राय मांग सकता है लेकिन उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को न तो राय देने के लिए बाध्य है और न ही राष्ट्रपति इसे मानने के लिए बाध्य है।

अब तक लोकसभा का उसके गठन के बाद 5 वर्ष के भीतर 5 बार विघटन हो चुका है →

- → 1970 मे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मती इंदिरा गाँधी की सलाह पर
- → 1979 मे चरण सिंह की सलाह पर
- → 1991 में चन्द्रशेखर की सलाह पर
- → 1998 में इन्द्रकुमार गुजराल व
- → 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सलाह पर

करंट अफेयर्स & सामान्य
ज्ञान एवम रोचक जानकारी

राष्ट्रपति द्वारा विघटन हुआ और मध्यावधि चुनाव कराये गये।

- ★ आपातकाल की घोषणा के समय लोक सभा की अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है किन्तु एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती है। किन्तु आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह के अन्दर लोकसभा का सामान्य चुनाव आवश्यक है।
- ★ यदि लोक सभा का कोई सदस्य लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसका पद रिक्त मान लिया जाएगा।
- ★ लोक सभाध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है
- ★ लोकसभाध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता बल्कि वह सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है।
- ★ लोकसभा का कार्यकारी अध्यक्ष लोक सभा के सदस्य के रूप में इन्हें शपथ ग्रहण कराता है। कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में उस व्यक्ति को नामांकित किया जाता है जो लोकसभा का सबसे अधिक उम्र का होता है।

नोट- लोक सभा का उपाध्यक्ष विपक्ष दल का सदस्य होता है।

<u>लोकसभाध्यक्ष को पद से हटाना</u> :→ लोकसभाध्यक्ष को उसके पद से निम्न तरह से हटाया जा सकता है –

(i) यदि वह उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे देता है
(ii) यदि वह किसी कारण लोकसभा का सदस्य नहीं रह जाता।
(iii) यदि वह लोक सभा के सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प से हटा दिया जाता है।

ऐसा कोई संकल्प लोक सभा में पेश की सूचना 14 दिन पूर्व अध्यक्ष को देनी चाहिए।

- ● ब्रिटेन मे कामन्स सभा का स्पीकर हमेशा के लिए होता है –

होता है तो वह रिक्त स्थान के लिए मनोनीत होता है। राज्य सभा के सदस्य राज्यसभा के सभापति को अपना त्यागपत्र किसी समय देकर सदस्यता से मुक्त हो सकते हैं।

* लोक सभा या राज्य सभा के किसी सदस्य की योग्यता पर कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो ऐसे प्रश्न का निवारण निर्वाचन आयोग के परामर्श पर राष्ट्रपति करेगा।

* जब सभापति तथा उपसभापति दोनों अनुपस्थित हो, तो राज्य सभा के सभापति के कार्यों का निर्वहन राज्य सभा का वह सदस्य करेगा जिसे राष्ट्रपति नाम निर्देशित करेगा और राज्य सभा की बैठक में वह व्यक्ति सभापति के कार्यों का निर्वाह करेगा, जिसे राज्यसभा की प्रक्रिया के नियमों द्वारा या राज्यसभा द्वारा अवधारित किया जाए।

करंट अफेयर्स & सामान्य ज्ञान एवम रोचक जानकारी

लोक सभा → (अनु०.81)

* लोक सभा को अस्थायी सदन, प्रतिनिधि सभा, निम्न सदन व लोकप्रिय सदन के नाम से भी जाना जाता है।
* अधिकतम 552 सदस्यों से मिलकर बनी होगी। (First से Amendment, 2020 में)
* 552 में 530 (राज्यों के प्रतिनिधि) 20 (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 2 (एंग्लो-इण्डियन समुदाय) के व्यक्ति
* निर्वाचित – प्रत्यक्ष
  प्रणाली – प्रादेशिक निर्वाचन प्रणाली
* वर्तमान में लोक सभा के सदस्यों की संख्या 545 है। 2 एंग्लो इण्डियन 530 राज्यों से तथा 13 केन्द्रशासित प्रदेश
* लोक सभा व राज्य सभा के सदस्यों को राष्ट्रपति शपथ दिलाएगा या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई प्राधिकारी।

बहुमत – $545 \times \frac{1}{2} + 1$

* लोकसभाध्यक्ष को बहुमत द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। अब तक तीन हटाये गये – 1. जी वी मावलंकर
  2. हुकम सिंह
  3. बलराम जाखड़
* लोकसभा का अध्यक्ष लोक सभा का सदस्य न होने पर अपने अध्यक्ष के पद से हट जाता है
* लोक सभा का गठन अपने प्रथम अधिवेशन की तिथि से 5 वर्ष के लिए होता है।
* प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष के पहले भी किया जा सकता है इसका विघटन मध्यावधि चुनाव के लिए 5 वर्ष से पहले कर दिया जाता है।

करंट अफेयर्स & सामान्य ज्ञान एवम रोचक जानकारी

कामरोको प्रस्ताव (स्थगन प्रस्ताव) →

* कामरोको प्रस्ताव की सिफारिश विपक्ष द्वारा की जाति हैं।
* यदि कोई राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय घटना हो जाए या कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तो कामरोको प्रस्ताव पारित होता है जिससे सदन मे कार्यों को रोक दिया जाता हैं।
* इसकी सूचना सुबह 10 बजे अध्यक्ष / सभापति सम्बन्धित मंत्री तथा महासचिव को देनी चाहिए।

अविश्वास प्रस्ताव →

यदि सरकार को लोकसभा मे बहुमत नही प्राप्त है तो विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा मे लाती है।

(i) यह केवल लोक सभा मे लाया जाता हैं
(ii) लोक सभा के 50 सदस्य हस्ताक्षर करे।
(iii) एक बार लाने के 6 माह बाद ही पुन लाया जा सकता है।

* अविश्वास प्रस्ताव यदि पास हो जाता है तो सत्ता पक्ष गिर जाती।

कटौती प्रस्ताव →

लोक सभा में अनुदान की मांग / पैसे की मांग मे कमी करने वाला प्रस्ताव कटौती प्रस्ताव कहलाता है।

(i) नीतिगत कटौती प्रस्ताव
(ii) प्रतिकात्मक या सांकेतिक कटौती प्रस्ताव
(iii) आर्थिक मितव्ययी कटौती प्रस्ताव

* यदि यह सरकार के विरूद्ध पास हो जाता है तो सरकार गिर जाती हैं।

मतदाता हेल्पलाइन नंबर → 1950

सबसे उम्रदराज सांसद → फारूख अब्दुला (82 वर्ष) (नेकां-जम्मू कश्मिर)

भारत की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत → गौरी सावंत

16 वी लोकसभा की अपेक्षा 17 वी लोकसभा में BJP को कितनी सीटें अधिक मिली। → 21

सबसे गरीब सांसद → प्रताप चन्द्र सारंगी (ओडिशा का मोदी)

कितनी सिटों पर आजतक एक भी महिला सांसद नहीं बनी → 269 (50%)

कितने राज्यों में लोकसभा चुनावों के साथ विधानसभा चुनाव भी हुये। → 4 (आन्ध्रप्रदेश, सिक्किम, ओडिशा, अरूणाचल प्रदेश)
(जम्मू कश्मिर में सुरक्षा कारणों से रद्द)

आन्ध्रप्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री → जगन मोहन रेड्डी

सिक्किम के नवनियुक्त मुख्यमंत्री → प्रेम सिंह तमांग

ओडिशा के नवनियुक्त मुख्यमंत्री → नवीन पटनायक

अरूणाचल के नवनियुक्त मुख्यमंत्री → पेमा खांडू

मुख्य चुनाव आयुक्त → सुनिल अरोडा

राष्ट्रपति भवन के प्रेस सचिव → अशोक मलिक

मंत्रीमंडल - 2019

प्रधानमंत्री → नरेन्द्र मोदी (कार्मिक, लोक, पेंशन, परमाणु व अन्तरिक्ष, तथा नीतियों के अलावा जो किसी के पास ना हो सभी मंत्रालय)

राजनाथ सिंह → रक्षा मंत्रालय

अमित शाह → गृह मंत्रालय

निर्मला सीतारमण → वित्त व कॉरपोरेट मंत्रालय (पहली महिला)

नितिन गडकरी → सडक परिवहन, राजमार्ग, सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग

डी.वी. सदानंद गौडा → रसायन व उर्वरक मंत्रालय

रामविलास पासवान → उपभोक्ता व खाद्य मंत्रालय

नरेन्द्र सिंह तोमर → ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कृषी कल्याण मंत्रालय

संविधान सभा के सदस्य → 389

करंट अफेयर्स & सामान्य ज्ञान एवम रोचक जानकारी

- 292 ब्रिटिश भारत प्रान्त के
- 93 देशी रियासतों से
- 4 मुख्य आयुक्त प्रान्तों से [दिल्ली, कुर्ग, अजमेर (मारवाड़), बलूचिस्तान]
- प्रान्तों को A - B - C ग्रुप में विभाजित किया गया
  - A ग्रुप – हिन्दु बहुल प्रान्त
  - B ग्रुप – मुस्लिम बहुल प्रान्त
  - C ग्रुप – बंगाल व असम को रखा गया
- संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रान्तीय विधान सभा के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाना था। जब कि देशी रियासतों में प्रतिनिधियों के चयन की पद्धति परामर्श से तय की जानी थी।
- निर्वाचन में कांग्रेस को 208, लीग को 73 स्थान मिले।
- संविधान सभा की प्रथम बैठक डा० सच्चिदानन्द सिंहा की अस्थायी अध्यक्षता में दिसम्बर 1946 में हुई जिसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुआ
- 11 दिसम्बर 1946 को डा० राजेन्द्र प्रसाद की स्थायी अध्यक्षता में इसकी बैठक हुई जिसमें लीग शामिल हुआ।
- गतिरोध उत्पन्न होने पर (मुस्लिम लीग द्वारा अलग संविधान सभा के गठन की मांग पाकिस्तान के लिए करने पर) उसे दूर करने के लिए संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया।
- 26 नवम्बर 1949 को 299 सदस्यों में से 284 सदस्य उपस्थित थे और उन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किया और आंशिक रूप से संविधान को लागू कर दिया गया।

संविधान का निर्माण	– 26 नवम्बर 1949
संविधान लागू हुआ	– 26 जनवरी 1950
संविधान पर पहला हस्ताक्षर	– डा० राजेन्द्र प्रसाद

प्रारूप समिति :- → इसमें 6 सदस्य शामिल थे (डा० भीमराव अम्बेडकर के अध्यक्ष)
→ इसका गठन 29 अगस्त 1947 में हुआ
→ रिपोर्ट फरवरी 1948 को दिया

1- अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर
2- एन० गोपाल स्वामी आयंगर
3- डी० पी० खेतान (1948 में मृत्यु के बाद टी० टी० कृष्णामाचारी)
4- कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी
5- एन माधव राव (बी० एल० मित्र के स्थान पर)
6- सैयद मोहम्मद सादुल्ला

संविधान के भाग और उनमे दिये गये विषय -

करंट अफेयर्स & सामान्य ज्ञान एवम रोचक जानकारी

भाग	विषय
भाग 1 →	संघ और इसका राज्य क्षेत्र
भाग 2 →	नागरिकता
भाग 3 →	मूल अधिकार
भाग 4 →	राज्य के नीति निदेशक तत्व
भाग 4 (क) →	मूल कर्तव्य इसे 42वें सं. अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया
भाग 5 →	संघ की कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका
भाग 6 →	राज्य की कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका
भाग 7 →	पहली अनुसूची के भाग 'क' के राज्य इसे 7वें सं. अ. 1956 के द्वारा निरस्त किया गया
भाग 8 →	संघ राज्य क्षेत्र
भाग 9 →	पंचायतें इसे 73वें सं. अ. 1992 के द्वारा जोड़ा गया
भाग 9 (क) →	नगर पालिका इसे 74वें सं. अ. 1992 के द्वारा जोड़ा गया
भाग 10 →	अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्र
भाग 11 →	संघ और राज्यों के बीच सम्बन्ध (विधायी, प्रशासनिक व वित्तीय)
भाग 12 →	वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं और वाद
भाग 13 →	भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम
भाग 14 →	संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं
भाग 14 (क) →	अधिकरण (प्रशासनिक) 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शामिल
भाग 15 →	निर्वाचन
भाग 16 →	कुछ वर्गों के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध (पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति, जनजाति, एंग्लो इंडियन समुदाय)
भाग 17 →	राज भाषा (संघ और प्रादेशिक भाषाएं)
भाग 18 →	आपात उपबन्ध (352 - 356 - 360)
भाग 19 →	प्रकीर्ण
भाग 20 →	संविधान संशोधन
भाग 21 →	अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबन्ध
भाग 22 →	संक्षिप्त नाम प्रारम्भ, हिन्दी में प्राधिकृत पाठ

करंट अफेयर्स & सामान्य

अनुसूचियाँ व उनके विषय →

पहली अनुसूची → (i) राज्य (ii) संघ

दूसरी अनुसूची → भाग (क) राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों के बारे में उपबन्ध

भाग (ख) निरसित

भाग (ग) लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष राज्यसभा के सभापति व उपसभापति राज्य विधान सभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा विधान परिषद के सभापति, उप सभापति

भाग (घ) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश

भाग (ङ) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबन्ध

करंट अफेयर्स & सामान्य ज्ञान एवम रोचक जानकारी

तीसरी अनुसूची → शपथ

चौथी अनुसूची → राज्य सभा के स्थानों का आवंटन

पाँचवी अनुसूची → अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में

छठी अनुसूची → असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में

सातवी अनुसूची → संघ सूची (मूल संविधान में 97 थे जो वर्तमान में 100 हैं)

राज्य सूची (66 थे वर्तमान में 61 हैं)

समवर्ती सूची (47 थे वर्तमान में 52 हैं)

आठवी अनुसूची → भाषाएँ (22 भाषाएँ)

नौवी अनुसूची → भूमि सुधार सम्बन्धी, इसे पहला संशोधन 1951 में जोड़ा गया।

दसवी अनुसूची → इसे 52 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में शामिल किया गया (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता के बारे में)

ग्यारहवी अनुसूची → पंचायतें (इसे 73वाँ सं सं अ 1992 के द्वारा जोड़ा गया) पंचायतों से सम्बन्धित उक्त प्रावधान 24 अप्रैल 1993 को सम्पूर्ण भारत में लागू कर दिया गया (अपवाद – जम्मू कश्मीर, दिल्ली, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड राज्यों में लागू नहीं होते।

बारहवी अनुसूची → नगर पालिकाएँ 74 वाँ सं सं अ 1992 द्वारा जोड़ा गया। इसमें भाग नौ क शामिल 18 विषय 1 जून 1993 को पूरे भारत में लागू

(अपवाद – [illegible])

- आरोप की जाँच एक समिति द्वारा किया जाता है जिसका अध्यक्ष भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है।
- यदि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर यह आरोप लगाया जाता है तो जाँच समिति का अध्यक्ष वह होगा जो 30 में से सबसे वरिष्ठ तथा योग्य होगा।
- जाँच समिति अपनी रिपोर्ट उस सदन को देगा जिसने आरोप लगाया है और वह अपने बहुमत से उसे पारित कर देती है तो जाँच समिति जब इसे पास कर देती है तो यह राष्ट्रपति के पास चला जाता है।

S.C, H.C, नियन्त्रक महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त (C.E.C) को भी इसी तरह उसके पद से हटाया जाता है।

अनु०126→ कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति।

- इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा तब किया जाता है जब मुख्य न्यायाधीश का स्थान या पद रिक्त हो जाए या वह कार्य करने में असमर्थ हो या अनुपस्थित हो।
- 30 न्यायाधीशों में से जो सबसे वरिष्ठ होता है उसे इसके लिए चुना जाता है।

अनु०127→ तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति (Ad-hoc) –

- इसकी नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की सहमति से करेगा।
- जब उच्चतम न्यायालय के सत्र को चालू रखने के लिए कोरम (गणपूर्ति) पूरा न हो।

अनु०129→ सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय होगा।

नोट→ जब सर्वोच्च न्यायालय किसी मामले में कोई निर्णय देता है तो उस निर्णय को लिखित रूप में रखा जाता है क्योंकि यदि इसी किसी प्रकार का कोई मामला H.C या L.C में आये तो वह भी यही निर्णय देने के लिए बाध्य है।

करेंट अफेयर्स & सामान्य ज्ञान एवम
रोचक जानकारी

भारतीय संविधान के स्रोत

संयुक्त राज्य अमेरिका →

→ मौलिक अधिकार
→ न्यायपालिका की स्वतन्त्रता एवं निष्पक्षता
→ न्यायिक पुनरावलोकन
→ विधि के समान संरक्षण
→ राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया
→ संघ के सशस्त्र बलों का राष्ट्रपति सर्वोच्च समादेशक
→ उप राष्ट्रपति का पद (राज्य सभा का सभापति)
→ संविधान की प्रस्तावना

ब्रिटेन →

→ संसदीय शासन - प्रणाली
→ एकल नागरिकता
→ विधि निर्माण प्रक्रिया
→ एकीकृत न्यायिक प्रणाली

करंट अफेयर्स & सामान्य ज्ञान एवम रोचक जानकारी

आयरलैण्ड →

→ नीति निदेशक तत्व
→ राष्ट्रपति के निर्वाचन मण्डल की व्यवस्था
→ राज्य सभा में साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से विशेष योगदान करने वालों का मनोनयन
→ संसदीय पद्धति के शीर्ष पर निर्वाचित राष्ट्रपति

कनाडा →

→ संघीय ढाँचा (संघ राज्य सम्बन्ध) (संघ राज्य शक्ति विभाजन)
→ भारतीय संघ को 'UNION' का नाम देना
→ अवशिष्ट शक्ति केन्द्र को

दक्षिण अफ्रीका → संविधान संशोधन की प्रक्रिया
जापान → विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया
आस्ट्रेलिया → समवर्ती सूची
फ्रांस → गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था
जर्मनी → आपातकालीन शक्तियाँ
पूर्व सोवियत संघ → मूल कर्तव्य

- सभी देशों के संविधान को जानने के लिए **बी. एन. राव** विदेशी यात्रा पर गये।
- जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत नहीं निर्वाचित होता है **गणराज्य** कहलाता है।

उच्चतम न्यायालय
Supreme Court

अनु॰124॰ भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जो एक मुख्य न्यायाधीश तथा ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा, जिन्हे राष्ट्रपति समय-समय पर नियुक्त करना समझे

* सर्वोच्च न्यायालय मे 1 मुख्य न्यायाधीश तथा 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं।
* संसद यह बताएगा की मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीश कौन होगा।

नोट → वर्तमान मे 1 मुख्य न्यायाधीश व 28 अन्य न्यायाधीश हैं।

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशो की योग्यता →

- ↣ वह भारत का नागरिक हो।
- ↣ किसी उच्च न्यायालय या ऐसे दो या अधिक न्यायालयों मे कम से कम 5 वर्ष तक लगातार न्यायाधीश रहा हो।
- ↣ किसी उच्च न्यायालय मे कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो
- → राष्ट्रपति की दृष्टि से पारंगत विधिवेत्ता हो।

* उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अधिकतम आयु 65 वर्ष होती है।
* उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उन्ही न्यायाधीशो मे से जो सबसे वरिष्ठ होता है वही होता है।
* उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशो की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करता है।

→ **अमेरिका मे एक बार का बना न्यायाधीश हमेशा के लिए होता है।**

पद से हटाना → इन्हे दो प्रकार से पद से हटाया जा सकता है।

(i) साबित कदाचार

(ii) असमर्थता

- राष्ट्रपति साबित कदाचार व असमर्थता के आधार पर न्यायाधीश को हटाने का आदेश तब पारित करता है जब संसद 2/3 बहुमत से ऐसा करने का प्रस्ताव पारित करे
- इस पर कोई भी सदन आरोप पारित या लगा सकता है।
- लोक सभा के 100 व राज्य सभा के 50 सदस्य उस पर आरोप लगाते हैं।

संसद → (अनु०-79)   भारत का संविधान::

अनु 79 → संघ के लिए एक संसद होगी।

- राज्य सभा को उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है।

संसद →
- राष्ट्रपति
- राज्य सभा
- लोक सभा

संसद ↔ करंट अफेयर्स & सामान्य ज्ञान एवम रोचक जानकारी

राष्ट्रपति → संयुक्त बैठक → लोकसभाध्यक्ष

लोक सभा	राज्य सभा
निर्वाचित 545 नामांकित 2	निर्वाचित 238 नामांकित 12
अध्यक्ष उपाध्यक्ष	सभापति उपसभापति
समितियाँ	समितियाँ

राज्य सभा → (अनु०-80)

राज्य सभा का गठन 250 सदस्यों द्वारा होगा, इसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किये जाते हैं ये वह होते हैं जिन्हे साहित्य, विज्ञान, कला तथा समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो वर्तमान समय में राज्य सभा के सदस्यों की संख्या 245 है।

चुनाव → राज्य सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है

राज्य सभा के चुनाव में राज्यों के विधानसभा के सदस्यों द्वारा भाग लिया जाता है।

अवधि → राज्य सभा का कभी विघटन नहीं होता। इसके सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इसके सदस्यों में से 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद पदमुक्त हो जाते हैं तथा पदमुक्त होने वाले सदस्यों के स्थान को भरने के लिए प्रत्येक दूसरे वर्ष चुनाव होता है।

यदि कोई सदस्य त्यागपत्र दे देता है या उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है और स्थान कोई रिक्त

प्रमुख समितियाँ और उसके अध्यक्ष →

- → संघ अधिकार / शक्ति समिति ⟶ प० जवाहर लाल नेहरू
- → संघ संविधान समिति ⟶ प० जवाहर लाल नेहरू
- → राज्य समिति ⟶ प० जवाहर लाल नेहरू
- → उद्देश्य प्रस्ताव समिति ⟶ प० जवाहर लाल नेहरू
- → नियम समिति ⟶ राजेन्द्र प्रसाद
- → संचालन समिति ⟶ राजेन्द्र प्रसाद
- → परामर्शदात्री समिति ⟶ सरदार वल्लभ भाई पटेल
- → प्रान्तीय संविधान समिति ⟶ सरदार वल्लभ भाई पटेल
- → मूल अधिकार समिति ⟶ सरदार वल्लभ भाई पटेल
- → अल्प संख्यक समिति ⟶ सरदार वल्लभ भाई पटेल
- → संवैधानिक सलाह समिति ⟶ बी एन राव
- → नीति निदेशक तत्व समिति ⟶ तेज बहादुर सप्रु
- → प्रारूप समिति ⟶ डा० भीमराव अम्बेडकर
- → झण्डा समिति ⟶ जे बी कृपलानी

करंट अफेयर्स & सामान्य ज्ञान एवम रोचक जानकारी

- 15 अगस्त 1947 को "Day of Destiny" (नियत दिन) कहा गया।
- संविधान 26 नवम्बर 1949 को बना किन्तु इसे पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया।
- 26 जनवरी 1950 को "प्रारम्भ की तारीख कहा गया"
- 26 जनवरी 1930 को "प्रथम स्वतन्त्रता दिवस" रावी नदी के तट पर तिरंगा लहराकर मनाया गया था इसलिए संविधान को 26 जनवरी को पूर्णतः लागू करने की तिथि घोषित की गयी।
- मूल संविधान में 22 भाग, 8 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद थे, किन्तु इस समय 22 भाग, 12 अनुसूचियां और विभिन्न संविधान संशोधन के द्वारा अनेक अनुच्छेदों को जोड़ा गया जिससे इसकी संख्या बढ़कर वर्तमान में लगभग 445 से भी ज्यादा हो गयी है।

← समिति →

करंट अफेयर्स & सामान्य ज्ञान एवम रोचक जानकारी

स्थायी समिति →

नियम समिति
सामान्य प्रयोजन समिति
कार्यमन्त्रणा समिति
] अध्यक्ष लोकसभाध्यक्ष

* तीन स्थायी समितियों को छोड़कर जिसे लोकसभाध्यक्ष अध्यक्ष पद पर नियुक्त करेगा वही बाकी का अध्यक्ष होगा।

स्थायी वित्तीय समिति →

(i) प्राक्कलन समिति
(ii) लोक लेखा समिति
(iii) सार्वजनिक उपक्रम समिति

(1) प्राक्कलन समिति → इसे अनुमान समिति व स्थायी मितव्ययी समिति के नाम से भी जाना जाता है।

* यह वित्तीय समितियों में सबसे बड़ी समिति है
* इसके सभी 30 सदस्य लोक सभा से होते हैं।
* यदि कोई मंत्री इसका सदस्य है तो उसे मन्त्री पद छोड़ना पड़ेगा।

कार्य →

(i) सरकारी खर्चों में कमी लाने का सुझाव
(ii) प्रशासन में सुधार लाने का सुझाव

(2) लोक लेखा समिति (P.A.C - Public Accounts Committee) →

* इनमें सदस्यों की संख्या 22 होती है (15 लोक सभा से व 7 राज्य सभा से) होते हैं।

इसे विभिन्न नामों से भी जाना जाता है
सदन की दो आँखें, सदन की तीसरी आँख, रखवाली करने वाला कुत्ता व प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन

वित्तीय समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति है
वित्तीय समितियों में सबसे पुरानी समिति है।

[illegible]